

**MEMORANDUM
OF
ASSOCIATION
OF
UPRRDA**

आगुक्त, यांचे दिनांक दिलाव

卷之二

卷之三

2-198 1-18 103...

100,000

J. S. C. 102

* 1 *

प्रेषक,

नवीन चन्द्र वाजपेई,

प्रभाष सचिव

३०४० आसन

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास

उ०प० लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

तथनजः::दिनांकः ।> नवम्बर, 2003

15

नवम्बर, 2003

आधिकार (परो) विषय- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अधिकारण के गठन के संबंध में।

पहादय,

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अभिकरण का अनुमोदित स्थृति-पत्र ३१.०३ एवं नियमावली (तीन प्रतियों में): संलग्न है। संलग्न स्थृति-पत्र एवं नियमावली में उल्लिखित नियमों के अधीन इस अभिकरण का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् १८६०) के अन्तर्गत पंजीकरण की कार्यवाही की जानी है।

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस अभिकरण के गठन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अन्तर्गत शीर्ष प्रायमिकता के आधार पर पंजीकरण कराते हुये शामन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-यथोपरि

महाराजा
संग्रहालय
(नवीन चन्द्र वाजपेइ) १५४१०३
प्रमुख सचिव ।

Photo off
J. S. Mehta
(राहित कुमार गुप्ता)
सप्त मुख्य कायंवालक. व्रतिकारी
य. पी. मार. मार. टी. ए.

संख्या : २३५८ पत्रावली सं०-१-१३९२२८ दिनांक २५-११-२००३



(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या २००३ २००४

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश व्यापी-
संकलन विकास अभियन्त्र (1025), नवा सरण्य ।
जवाहर भट्ट, अशोक अड्डा, लखनऊ - 226001
की आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम,
1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र ३१-२००८
तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक २५ नवम्बर दो हजार नीन को
मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

~~Photocopy Aesthetic~~

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

कुपार युती)
कृष्णहित कुपार युती)
मुख्य कांडपुलक विकारी
पो० एस० ग० पी०-१०००० ४ फर्म निबन्धन-१.६.२००२ अ० आ०. कै० ४।
-५०,००० प्रतियां-(कम्प्यटर/आफसे०)

संख्या 10224
०५-१२-२०१३



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

नवीनीकरण संख्या 4257-2013-2014

फाइल संख्या 1-139228

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण राडक विकास

अग्रिम

तृतीय एवं चतुर्थ तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 1610/2003-2004

दिनांक 25/11/2003 को दिनांक 25/11/2013 से पांच वर्ष की अवधि
के लिए नवीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्पर्क रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 30/11/2013

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संख्या ४९९४
२६-११-२००८



उत्तर प्रदेश के नवीनीकरण का प्रमाण — पत्र

नवीकरण संख्या 452-2008-2009

फाइल संख्या 1-139228

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकारा।

अभिकरण

तृतीय एवं चतुर्थ तल, गन्ना किसान रास्थान, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण — पत्र संख्या 1610/2003-2004

दिनांक 25/11/2003 को दिनांक 25/11/2008 से पांच वर्ष की अवधि
के लिए नवीकृत किया गया है।

200 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 26/11/2008

सोमेहटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

(रोहित कुमार गर्जा)
उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आर. आर. डी. ए.

(८७)

समिति-पत्र

- १- समिति का नाम - उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभियान ।
- २- समिति का पूरा पता - कक्ष संख्या-1025, जवाहर घरन,
आशोक भाग, लखनऊ-226001
- ३- समिति का कार्यधारा - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।

उद्देश्य:

प्रागान गंधी ग्राम राड़क धोजना के आन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

- (i) उत्तर प्रदेश के ग्रामों यों राड़कों से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ;
- (ii) उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रेत्रों, इसके अतिरिक्त अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना और उनका उपयोग करना;
- (iii) ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित कार्यों का प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु प्रदेशीय, राज्यीय एवं अन्तराज्यीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना ;

- (iv) ग्रामीण सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये समन्वित कार्य-योजना तैयार करवाना एवं इनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित नीतिगत निर्णयों हेतु राज्य सर पर शीर्ष संरक्षण वे रूप में कार्य वर्तना ;

(v) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रेत्रों से प्राप्त संसाधनों/धनराशि का उपयोग प्रति जिला रत्त पर गठित इकाईयों या अन्य को उपलब्ध कराते हुये ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना ;

(vi) ग्रामीण राड़कों वे निर्माण में लागी विचिन्न परिस्थितियों ये साथ समन्वय रखापित करने हेतु हुये ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करना ;

(vii) ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ गठित करके गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य करना ;

(viii) समस्व-समय पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा करना तथा उपर्युक्त लाश्य की पूर्ति के उपाय करना ;

स्वत्प्रतिक्रिया

Ram Singh

कार्यालय उपायक

प्राप्ति

क्रिस्टल गाँव, गोमाटी इन निर्माण

20/12/2005

राहित कुमार द्वारा
टक्क मुख्य कार्यालय विभाग
क्र. नं. अद. अद. द्वा.

5- अभिकरण की साधारण सभा के प्रथम सदस्य :-

5- अभिकरण थी साधारण सभा के प्रथम सदस्य, जिसे समिति के नियमों और विनियमों
द्वारा उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध सौंपा जाएगा, सदस्यों के नाम और पते नीचे दिये
रखे हैं :

संख्या	नाम	पदनाम/पता	अभिकरण में पद
1.	श्री उमा शंकर ठाकुर	प्रमाणी मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सभापति
2.	श्री. डॉ. दीप्ति राजा	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	उप सभापति
3.	श्रीमति. बुद्धलाल ठाकुर	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव
4.	श्रीमति. रामनाथ ठाकुर	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	श्रीमति. चंद्र कुमार ठाकुर	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	श्रीमति. रामनाथ ठाकुर	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	श्रीमति. रामनाथ ठाकुर	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
8.	श्रीमति. रामनाथ ठाकुर	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
9.	श्रीमति. रामनाथ ठाकुर	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
10.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11.	प्राइमेट प्ररकारों के तकनीकी परीक्षण ऐसु भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	योजनान्तर्गत स्टेट क्यालिटी कोआडिनिटर	राजस्व
13.	योजनान्तर्गत स्टेट कोआडिनिटर आफ इन्फारमेंशन एवं टेक्नोलॉजी	सदस्य
14.	अपर आयुक्त, परियोजना (तकनीकी)	सदस्य
15.	श्री. चंद्र ठाकुर	अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
16.	श्री. रामनाथ	मुख्य अभियन्ता (प्रधान मंत्री ग्राम सङ्करण), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य


सदस्य प्रतिनिधि

कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय

राजस्व विभाग, गोमाटोर एवं नटक फॉर्म

कार्यालय नक्सा

20/12/2003



(लौहित कुमार)
कृष्ण बालक विकास
क. वा. बाल. बार. दी. वा.

उत्तर प्रदेश ग्रामीण राड़क विकास अभियान की नियमावली

प्रारंभिक चरण व प्रारंभ

- (1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण राड़क विकास अभियान' नियमावली कही जायेगी।
- (2) यह नियमावली (उत्तर प्रदेश ग्रामीण राड़क विकास अभियान) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2- कार्यालय - कक्ष संख्या-1025, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

3- कार्यालय - रामपुर, उत्तर प्रदेश।

4- परिणाम :- जब तक इस विषय या प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (1) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;
- (2) 'अभियान' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभियान से है;
- (3) 'समाप्ति' का तात्पर्य अभियान की साधारण सभा के समाप्ति से है;
- (4) 'उप-समाप्ति' का तात्पर्य अभियान की साधारण सभा के उप-समाप्ति से है;
- (5) 'सदरय-सचिव' का तात्पर्य अभियान की राष्ट्रीय सभा के सदरय-सचिव से है;
- (6) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य अभियान की कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष से है;
- (7) 'गुरुज्ञ कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य अभियान की कार्यकारणी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;
- (8) 'परियोजना क्रियान्वयन इकाई' का तात्पर्य उस परियोजना क्रियान्वयन इकाई से होगा जिसे नियमावली के अधीन अभियान द्वारा उत्तर प्रदेश के भीतर किसी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य की सम्पादित करने का दायित्व सौंपा गया हो। यह इकाई अभियान की शाखा के रूप में कार्यरत रहेगी;
- 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
- 'अधिनियम' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) से है।

5- उद्देश्य :-

- (i) उत्तर प्रदेश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विनाशन करना;
- (ii) उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रेष्ठों, इराके अतिरिक्त अन्य संसाधनों की व्यवरथा करना और उनका उपयोग करना;

मुख्य प्रतिनिधि
सदरय-सचिव
राज्य विकास, उप्रेक्ष
गुरुज्ञ प्रतिनिधि

कार्यपालक अधिकारी

मार्गदर्शक


रजिस्ट्रीकरण गोदारीक एवं निट कार्यालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ
२०१० १० ००२

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश ग्रामीण राड़क विकास
कृ. वि. बास. बार. डी. वि.

6. रामिंद्री के संविधान और नियमावली की एक-एक प्रति, जिसे साधारण सभा के तीन अधिकारों द्वारा मुख्य प्राप्तिगत गिया गया, इस प्रतिगत के साथ लिखा गया था है,

7. इस पृष्ठक-पृष्ठक व्यक्ति जिनके नाम और पेते नीचे दिये गये हैं, उन्हें स्मृति पत्र में घण्टित प्रयोजन के लिए रवतः सम्बद्ध होकर एतद्वारा इस स्मृति पत्र में अपने नाम लिखाने की धैर्यता देते हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अधीन अपनी समिति का गठन करते हैं। दिनांक को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

क्रमांक	नाम	पदनाम/पता	अभिकरण में पद
1.	रामापाल (राम)	प्रमुखी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	रामापाल
2.	द्वी. ज्ञ. रामीराम	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	उप सभापति (रामीराम)
3.	प्रीति गुरुदेव	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	रामीराम
4.	ज्ञालोक-खिंडा	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	आग्रा अ-न्द गुरुदेवी	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	देवेन्द्र राम	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	रामीराम गुरुदेव	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
8.	बिमुकुन्द राम	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
9.	आग्रा अ-न्द गुरुदेवी	नियेशाल एवं गुरुदेवी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य



संगत :- २००३/११/११

दिनांक :- २५/११/०३

इनकालीन विभाग

कामोन्ड अभियन्ता
कामोन्ड

राजस्थान ग. गोमालीज एवं चिट कान्फ

20.12.2003

(रामीराम कुमार गुरुदेव)
मुख्य कामोन्ड विभाग
प. बा. बाट. बाट. बी. बी.

Aug 2003

- (iii) ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित कार्यों का प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था बढ़ाना तथा हरा हेतु प्रैग्यांग, राज्यों पर अन्तर्राज्यीय माशाना एवं शोध राखाओं रो रामन्धय चारना;
- (iv) ग्रामीण राड़कों के निर्माण रे सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये सम्बन्धित कार्य-योजना तैयार कराना एवं इनके विद्यान्वयन से सम्बन्धित नीतिगत निषेधों हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना;
- (v) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त संसाधनों/धनराशि का जिला रतार पर गठित इकाईयों या अन्य को उपलब्ध कराते हुये ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना;
- (vi) ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगी विभिन्न ऐजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उद्यित गुणवत्ता गुणविकास करना;
- (vii) ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य रतारीय गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रोष्ट गठित करके गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य करना;
- (viii) समय-समय पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा करना तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के उपाय करना।

6- साधारण समा :-

अभिकरण की रायारण समा का गठन निम्नवत् होगा :-

क्रमांक	नाम	पदनाम/पता	अभिकरण में पद
1-		प्रभारी भंडी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सभापति
2-		अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	उप सभापति
3-		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव
4-		प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5-		आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लाखनऊ।	सदस्य
6-		प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लाखनऊ।	सदस्य
7-		नियेशक एवं भुज्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8-			
9-			

क्रमांक पृष्ठा 23/4 - 201

3.00/-

2

१८
प्रभारी भंडी
विकास
विभाग

काला लाल हालीदारी

प्रधान दामोहर
काला विभाग

२००५/१७

काला लाल

विभाग

विभाग दामोहर एवं लिट कफ

राहित उत्तर गुरुता
ग्राम्य कार्यालय अधिकारी
मुख्यमंत्री भार. दी. द.

लखनऊ ।		
10-	गारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11-	प्रोजेक्ट प्रतावी के तकनीकी परीक्षण हेतु गारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेंसी के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
12-	योजनान्तर्गत स्टेट क्वालिटी कॉआउनिटर	सदस्य
13-	योजनान्तर्गत स्टेट कॉआउनिटर आफ इन्कारमेशन एवं टेक्नोलॉजी	सदस्य
14-	अपर आयुक्त, परियोजना (तकनीकी)	सदस्य
15-	ओ.पी.टी.पी.ओ. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सदस्य
16-	मुख्य अधियक्ता, (प्रधान मंत्री ग्राम सङ्कर योजना), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सदस्य

7- अधिकरण में अधिकतम् पांच सदस्यों को और नामित किया जा सकेगा, लेकिन अधिकरण में किसी भी दशा में 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे । सदस्यों का नामांकन साधारण सभा के द्वारा दो तिहाई बहुमत से निम्न में से किया जायेगा :-

(1) केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय प्रतिष्ठानों/संस्थायें जो सङ्कर निर्माण में संलीन हो, के अधिकारियों के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है ।

(2) ग्रामीण सङ्कर योजना से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित किसी भी संस्था व संस्थान के राज्यता ।

अधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष योग्यता-अथवा अनुभव रखने वाला चोइ भी व्यवित ।

सदस्यता:
पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को अधिकतम् दो वर्ष के लिये सदस्यता साधारण सभा वी सहमति से प्रदान की जायेगी। परन्तु ऐसे सदस्यों को साधारण सभा वी अनुमति से पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

9- सदस्यों की पंजी :-

संगति के राज्यों की एक पंजी ऐगी, जिसमें समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर दिया जायेगा और उरमें अपना नाम, पदनाम, व्यवसाय व पता अंकित किया जायेगा। चोइ सदस्य तब तक सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक पंजी में हस्ताक्षर न कर दिया है ।

3/10
11/11/2003

१५
(संसाधन एवं विकास विभाग)
सामुद्रता
ग्राम्य विकास विभाग
संसाधन एवं विकास विभाग

१५
(प्रियंका गांधी)
संसाधन एवं विकास विभाग
संसाधन एवं विकास विभाग

सदस्य प्रतिनिधि
१५/११/२००३

कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय
रजिस्टर फॉर्म, नोटारीश एवं निट कफ्ट
संसाधन एवं विकास विभाग
20/12/2003

राहित कुमार चौधरी
बृंदावन कार्यालय अधिकारी
म.प. नं. 2003 दिन 20 दिसंबर 2003

10- पता में परिवर्तन की सुचना :-

यदि साधारण सभा या कार्यकारणी समिति के किसी सदस्य का पता परिवर्तित होता है, तो वह पंजी में आवश्यक परिवर्तन के लिये नया पता अभिकरण को सूचित करेगा और यदि वह पता सूचित नहीं करता है तो सदस्यों की पंजी में दिया हुआ पता ही उसका अंतिम पता माना जायेगा।

11- रादरयता और कार्यकाल :-

- (1) पदेन सदस्यों की सदस्यता उनके स्थानान्तरण, त्याग-पत्र अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा आगन्तुक पद पारक उसके स्थान पर स्वतः सदस्य हो जायेगा।
- (2) गैर सरकारी सदस्यों को रादरयता निम्न विधि में समाप्त होगी :-
- (ग) रादरयता अधिक समाप्त हो जाने पर,
- (घ) मृत्यु, दीवालिया/पागल, न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्ड, संस्था विरोधी कार्यकलाप, त्याग-पत्र अथवा साधारण सभा के दो तिहायी बहुमत से पारित अविश्वारा प्रताव पर।

12- अगिवरण के प्राधिकारी (अधिकारी) :-

अभिकरण के निम्न प्राधिकारी/अधिकारी होंगे:-

- (1) साधारण सभा
- (2) समाप्ति।
- (3) उप-समाप्ति।
- (4) कार्यकारणी समिति।
- (5) अध्यक्ष, कार्यकारणी समिति।
- (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- (7) राष्ट्रपत्र राष्ट्र द्वारा नामित अन्य।



13- आगिवरण रागा :-

अभिकरण की एक साधारण सभा होगी, जिसका छठन प्रस्तर-6 में उत्स्थित है।

14- राष्ट्रपत्र सभा के अधिकार :-

- (1) अभिकरण के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा नीति का निर्धारण करना।
- (2) अभिकरण के क्रियाकलाप हेतु वार्षिक कार्यकलाप योजना तथा वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
- (3) विगत वर्ष का आडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्सशीट का परीक्षण करना एवं अनुमोदित करना।
- (4) आगिवरण के नियमों में आवश्यक संशोधन करना।
- (5) कार्यसित्र में जागे अधिकारों द्वारा अगिवरण के क्रियाप्राधिकारी/अधिकारी द्वारा प्रतिनिधायन करना।

31.

१८

[(अधिकारी का नाम)]

संसद

दाता लिखा:

संसद

[(अधिकारी का नाम)]

संसद

प्राधिकारी

भारत प्रतिनिधि
राष्ट्रपत्र सभा

दायोग्य अधिकारी

दायोग्य

जिल्हादार नाम: मोहम्मद नाम: जिल्हा

(दोहित कुमार युद्धा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

१५- सामाजिक कार्यवृत्त के लिए वैठक एवं कर्तव्य

- (1) साधारण सभा वीड़ियो की अध्यक्षता करना। तथा इसके कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
- (2) साधारण सभा की बैठक सामान्यतः छ: माह में एक बार आहूत की जायेगी, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य आहूत की जायेगी। सभापति को यह अधिकार होगा कि वह साधारण सभा की विशेष बैठक जब भी आवश्यक समझे आहूत कर सकता है।
- (3) साधारण सभा की बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपरिथिति अनिवार्य होगी तथा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (4) मत विभाजन के समय यदि किसी प्रत्यावर पर दरावर-दरावर मत पड़ते हैं, तो अपने निर्णयाक मताधिकार का प्रयोग करना।
- (5) समिति वीड़ियो बैठक में विशेष आमन्त्री सदस्य को आमन्त्रित करना। (विशेष आमन्त्री सदस्य को गताधिकार नहीं होगा)।
- (6) साधारण सभा की दो बैठकों के बीच की अवधि में साधारण सभा के अधिकारों का प्रयोग करना। इस प्रकार प्रयोग किये गये अधिकार के परिणामस्वरूप जो निर्णय लिये जायेंगे, उसकी पुष्टि साधारण सभा की आगामी बैठक में की जायेगी।
- (7) अपने अधिकारों को उप-सभापति, कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनिधित्वित करना।

उप-सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य

रागान्ति ने अनुपरिधि में साधारण सभा वीड़ियो की अध्यक्षता करना। तथा सभापति द्वारा समय-समय पर सौपि गये कार्यों का सम्पादन करना।

रागान्ति द्वारा प्रतिनिधित्वित किये गये अधिकार।

साधारण सभा द्वारा प्रतिनिधित्वित किये गये अधिकार।

कार्यकारिणी समिति: अधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधारण सभा द्वारा निम्नोन्नतार कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा :-

क्रमांक	पद नाम / पता	समिति में पद
1-	ग्राम्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2-	आमुवत, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी -सदस्य सचिव
3-	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण रोपा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य

20/12/2000

3/11

5

6

द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा

द्वारा द्वारा

साधारण सभा
कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति

प्रतिनिधि द्वारा द्वारा द्वारा

20/12/2000

(रोहित कुमार गुटा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

४-	मुख्य अभियन्ता (प्रधान मंत्री ग्राम सङ्कर योजना), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य :
५-	अपर आयुष्मत (लेखा), ग्राम्य विकास निभाग, उत्तर प्रदेश लाखनऊ	सदस्य
६-	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
७-	प्रगुच्छ सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य
८-	प्रगुच्छ सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य :
९-	प्रगुच्छ राधिका/राधिका, ग्रामाण्ण आविष्येंव्रण रेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य

13- नार्यादारिणी रुग्णिति की शवित्तयों एवं कर्तव्य :-

- (1) समरता प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शवित्रियों का उपयोग करना।

(2) अभिकरण के समर्त कार्यकलायों एवं वित्तीय प्रबन्धन पर नियन्त्रण रखना।

(3) अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधारण सभा के अनुमोदन से उप-नियम एवं विनियम बनाना।

(4) अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी सार्वजनिक या निजी संस्था अधिवाच्यवित्त से अनुबन्ध का अनुमोदन करना।

(5) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रेत्रों जिसमें घाह्य संस्थायें भी शामिल होंगी, संसाधन प्राप्त या अर्जित करना।

(6) आमीण सङ्कर कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के लिये स्टाई/तदर्थ समिति या समितियों, कार्यदल या कार्यदत्तों आदि को गठित करना और उनकी शवित्रियों और कर्तव्यों को निर्धारित करना।

कर्मानुग्रहिणी समिति आपने किसी सदस्य को ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और धर्मानुषीली शवित्राओं परिचयान्वित कर रखा है तथा उनके लिये ऐसे कर्तव्य निष्पारित कर राखती जैसा वह उचित समझे और साथ ही ऐसी सीमाएँ भी निष्पारित कर सकती हैं, जिनके अन्तर्गत उच्च शवित्राओं एवं कर्तव्यों का निवेदन विलया जायेगा।

१७- अध्ययन के अधिकार एवं वर्त्तीव्यः

- (1) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा इसके कार्यवृत्त का अनुपोदन करना ।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करना ।

(3) ग्राम धिगाजन के समय यदि किसी प्रत्यावर पर बरावर-बरावर मत पड़ते हैं, तो आपने निर्णायक मत्ताधिकार का प्रयोग करना ।

(4) कार्यकारिणी रागिति थी बैठक में विशेष आमन्त्रित सदस्यों को आमन्त्रित करना । (विशेष आमन्त्री सदस्य वो मत्ताधिकार नहीं होगा) ।

~~Received~~
Dr.
(राहित कुमार गुप्ता)
कार्यपालक अधिकारी
संघीय सभा, नई दिल्ली, १५. ८. ४७

४८१
मायदा
प्रभाव द्वारा ।

स्वरूप अनुवाद

कार्यालय अधीक्षण

୩୮

कामगारी
राजस्थान, गोपनीय एवं निवृत्त फल

(5) आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति की विशेष/आकर्षिक बैठके अल्प सूचना पर आहुत गरना।

20- भूख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार व कर्तव्य:

साधारण सभा, सभापति, उप-सभापति, कार्यकारिणी समिति तथा अध्यक्ष के अधीन रहते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं:-

- (1) अभिकरण के समस्त कार्यों पर प्रशासनिक नियन्त्रण।
- (2) अभिकरण द्वारा विभिन्न श्रेत्रों से ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु प्राप्त वित्तीय संरामणों का सदुपयोग सुनिश्चित करना।
- (3) अगिकरण का वार्षिक बजट तैयार करना।
- (4) अभिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यों को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर तैनात करना।
- (5) ग्रामीण सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- (6) ग्रामीण सड़क के निर्माण में लगी इकाईयों/संस्थाओं को केन्द्र सरकार तथा अन्य श्रेत्रों से प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराना।
- (7) ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- (8) अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य समस्त वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करना।
- (9) साधारण सभा, सभापति, उप-सभापति, कार्यकारिणी समिति तथा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपि गये कार्यों का सम्बादन करना।

21- अभिकरण हेतु वित्तीय संराधन :-

- (1) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य श्रेत्रों से प्राप्त व्राण व अनुदान अन्य श्रेत्रों में वाह्य संस्थाओं से प्राप्त संसाधन भी शामिल होंगे।
- (2) रोपाऊं ने बदले गए प्राप्त शुल्क।
- (3) सावधि जमा से प्राप्त आय।

22- धनराशि का रख-रखाव एवं आडिट :-

अभिकरण की समस्त धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक (भारतीय स्टेट बैंक को प्राधिकरण) में अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नामें बचत खाता खोल कर रखी जायेगी। बैंक खातों (सावधि/बचत खाता) का संचालन राज्य स्तर पर अभिकरण के भूख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम कियान्वयन इकाई के अधिकारी जागीरता द्वारा एगल गिया, पायेगा। अभिकरण के समरत लेखों का आडिट निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया जायेगा।

Chitai (Copy) No. 22-3 Date

3/11/2017

(संघीय द्वारा)
प्राप्ति
शास्त्र विकास, ३०५०
स्वत्य प्रतीकृष्ण
१८८०।१५४

(निम्नान् द्वारा)
प्रमुख अधिकारी

एकादश फार्न, मोगारसी एवं पिट कम्प
३ जू. २०१७, सहनक
२०१७-१८

(रोहित कुमार गुप्ता)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भारत वार. द्वी. ए.

23- प्रणाली :-

साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये कमशः ग्राहक एवं पांच सदरयों की उपरिधिं अनिवार्य होती है तथा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती ।

24- साधारण सभा की बैठक :-

बैठक हेतु कम से कम 7 दिन पूर्व बैठक के स्थान व समय की लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी । विशेष परिस्थितियों में अल्प सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकती है । साधारण सभा की बैठक एक घर में कम से कम एक बार अवश्य आहूत की जायेगी ।

25- ग्राहकतारिणी राशिंही की बैठक :-

- (1) बैठक प्रत्येक तीन माह पर आहूत की जायेगी तथा छः माह में एक बार बैठक अवश्य आहूत की जायेगी ।
- (2) बैठक हेतु कम से कम .05 दिन पूर्व बैठक के स्थान व समय की लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी ।
- (3) अध्यक्ष द्वारा कभी भी यह बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना पर आमन्त्रित की जा सकती है ।

26- अधिकरण को अधिनिमय के अधीन राज्य सरकार की अनुमति से भंग किया जा सकता है ।

27- न्यायालय की कार्यवाहियां - अधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से अधिकरण की ओर से वाद चोरित किया जा प्रवत्ता है या उसके विरुद्ध वाद लाया जा राखता है ।

28- संविदा -

- (1) अधिकरण के लिये उसकी ओर से सभी संविदायें (कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति / संविदा को छोड़कर) अधिकरण की ओर से की गयी समझी जायेगी । और ऐसे सदस्य जिसे साधारण सभा द्वारा इस निमित्त किसी संकल्प से अधिकृत किया जाय, द्वारा निष्पादित की जायेगी ।

अधिकरण ने लिये या अधिकरण की ओर से साधारण सभा या कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य के साथ या ऐसी फर्म के साथ जिसका वह भागीदार हो या ऐसी निजी कम्पनी के साथ जिसका वह कोई सदस्य हो, किसी वस्तु या रामधी के कर्य-विकाय या सम्मरण के लिये कोई संविदा नहीं की जायेगी और न कोई वित्तीय करार किया जायेगा ।

3/201

8

(राजीद द्वारा)
वायुपत्र
द्वारा दिक्षित, २०००

स्वतंत्र वित्तीय
कार्यपालक समिति
द्वारा दिक्षित, २०००

(राजीद द्वारा)
वायुपत्र
द्वारा दिक्षित, २०००

साधारण सभा की बैठक
कार्यपालक समिति
द्वारा दिक्षित, २०००

Received

- 29- सामन्य मुद्दा :-
 अधिकरण की एक ऐसी आवार और छिन्नावन की सामान्य मुद्दा होती है, जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाती है।

30- अधिकरण के उद्देश्यों और प्रयोजनों में संशोधन :-
 अधिकरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अपने उद्देश्यों में जिसके लिये उसकी आवार थी गयी है, वे परिवर्तन, परिवर्धन या उन्हें राखित कर सकता है।

31- नियमों में संशोधन :-
 अंगेकरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियमावली में संशोधन करने के लिये अधिकरण की राधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी। बैठक में उपस्थिति सदरयों के द्वा लिहाई बहुमत से पारित संकल्प के अनुसार नियमावली में संशोधन किया जायेगा।

32- आय-व्ययक :-
 अधिकरण का वार्षिक आय-व्ययक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से ससमय तैयार किया जायेगा और साधारण सभा से अनुमोदित कराया जायेगा।

33- उपविधियां :-
 साधारण सभा राज्य सरकार की स्वीकृति से अधिकरण के कार्यकलापों के प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिये निम्नलिखित विधियों की व्यवस्था कराने के लिये ऐसी उप विधियां बना रखती हैं और उराये रखें रखें, परिवर्धन कर सकती हैं या उसे निरसित कर सकती हैं, जो इस नियमावली से असंगत न हो :-

 - (1) आय-व्ययक अनुमान तैयार करना, व्यय स्वीकृत करना, संविदा करना और उसके लिये रखना और लेखा परीक्षा।
 - (2) राधारण सभा और उरायों द्वारा गठित समितियों / कार्यदलों द्वारा कार्य संचालन, उनकी शक्तियां, कृत्य, कार्यकाल।
 - (3) ऐसे अन्य विषय जो अधिकरण के प्रशासन के लिये आवश्यक हो।

इस नियामावली और इसके अधीन बनाई गयी उचितियों के अधीन गठित किसी अन्य उप समिति द्वारा किया गया घोई कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से अविभािमान्य नहीं हैगा :-

- (1) कोई रिवत या उसके सदर्श के सप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम, शिरोंश या नियुक्ति गे त्रुटि या,

Հայոց հերոսական գլուխ

१०
संग्रहीत दस्तावेज़
प्राप्ति का समर्थन
कामोनग अधिकारी
कामोनग
रविशंकर पांडे, गोसाइटीक एवं चिट फाउंडेशन
संस्था, सलगक
२०.१२.२००३

10.		गारत राजकार स्थान नामित प्रतिनिधि पोर्टेलन एंगलों के गर्भीयों वर्षीयों तथा भारत सरकार द्वारा नामित स्टेट टेक्निकल एजेन्सी के एक-एक प्रतिनिधि	राजस्य राजस्य
11.		योजनान्तर्गत स्टेट कॉऑर्डिनेटर	राजस्य
12.		योजनान्तर्गत स्टेट कॉऑर्डिनेटर आफ इन्फारमेंशन एवं टेलीकॉम्युनिकेशन	सदस्य
13.	35/- 50/- 125/-	अपर आयुष्ट, परियोजना (तकनीकी)	सदस्य
14.		अपर आयुष्ट (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	राजस्य
15.		मुख्य अधिकारी (प्रधान मंत्री ग्राम सङ्कर योजना) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
16.	कौ. लो. राज्य		

(नवीन चन्द्र वैजयेंद्र)
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(खलीय हाथार)
कामुदी
राज्य विकास, लखनऊ

राज्यालय
प्रमुख सचिव
लखनऊ, 21/1/2010
प्रमुख



1
evidence
Signature

(रोहित कुमार गुप्ता)
उप मुख्य कार्यपालक विविकारी
म. प्र. वि. लाइ. लाइ. दी. ए.

सुलझा प्रतिलिपि
20/1/2010
कार्यपालक विविकारी
राजस्थान लाइ. गोपालहान एवं पिट कण्ठ
लखनऊ, 2012-2003

(2) उराती प्रक्रिया में कोई अनियमितता जिससे मामले के गुण-दोषः पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

35- यत्वा भृत्या :-

सरकारी सदस्यों द्वारा पात्रा भत्ता अपने विभाग से आहरित किया जायेगा तथा गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुमत्य पात्रा भत्ता देय होगा, जिसका आहरण/वितरण अभिकरण के स्रोत से किया जायेगा।

36- राज्य सरकार के निर्देश से अभिकरण के कार्य और उसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं उसके कार्यकलाप की जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है और ऐसे निर्देश दे सकती है, जिसे यह उस पामले के संबंध में आवश्यक रामणे, जिस पर रिपोर्ट में विचार किया गया हो और अभिकरण ऐसे निर्णयों का अनुपालन करने के लिये आवश्यक होगी। यहां केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, उसे राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
विषय : लोगोंकी लैटर 1860 मी. 13 वं 14 मी. अंग्रेजी अधिकारी।

हम साधारण सभा के निम्नलिखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि यह अधिकरण की नियमावाली की शब्द प्रति है।

क्रमांक	नाम	पदनाम/पता	अधिकरण में पद
१- (पार)	राज्यपाल ठाकुरी	प्रभारी मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सभापति
२-	कृष्ण दीक्षित	अपर मुख्य सचिव एवं कृष्ण उत्थादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।	उप सभापति
३-	प्रभु गुरुलाल अर्जुन	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य सचिव
४-	कलाम संकहा	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य
५-	शमात चन्द्र पुरोहित	ग्राम्य राज्यिक/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य
६-	जगद्दास	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य
७-	विनीत चूड़ा	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
८-	विश्वनाथ	प्रमुख अधियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सदस्य
९-	शमात चन्द्र पुरोहित	निदेशक एवं मुख्य अधियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य

(रोहित कुमार गुप्ता)
दृष्टि मुख्य कार्यपालक विधिका
म् वी. आर. दास, ए. ड.

स्त्रीरथं अतिं लक्षणे

ପ୍ରାଚୀ ନଗ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକା

四庫全書

जिस्तुं वार्षि, गोदारटीअ एवं चिट्ठ का
४ अ. ५०. २०१८

रजिस्ट्रेशन, फर्मर, सोसाइटीज एण्ड चिट्ठा, उत्तर प्रदेश

कार्यालय : मुख्यालय/मंडीप कार्यालय

अधिकारी, संवैधानिक वकील द्वारा दिया गया

पंजाब : १५४७६ | द - १३९२०८

दिनांक : ०१.१.२०२०

श्री/महिला

०१.१.२०२०

उच्चर प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिया गया वकील द्वारा दिया गया
प्रत्यक्ष वकील द्वारा दिया गया वकील द्वारा दिया गया वकील द्वारा दिया गया

संस्था के पंजीकरण से सम्बन्धित आपके प्रत्येक पंजीकरण के सम्बन्ध में सूचित करना है कि :-

(1) संस्था की निबन्धन संख्या/तिथि तथा भजावली संख्या अंकित नहीं की गई है जिसके कारण इसका प्राप्ति पर कार्यालय सम्बन्ध नहीं है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें तथा रोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860, द० प्र० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1916 और उन्हें नियमों के अन्तर्गत ही संस्था को संचालन करें।

(2) सन्चारित नवीकरण किया जा चुका है एक तत्त्वज्ञानी प्रभाण-पत्र संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें तथा रोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860, द० प्र० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1916 और उन्हें नियमों के अन्तर्गत ही संस्था को संचालन करें।

(3) नवीकरण ऐसु एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जारी दिया गया कारणों के लिए विलम्ब रोखा जायेगा। इसकी विलम्ब कारणों के संस्था का नवीकरण करना सम्भव नहीं है। संस्था हासा अधिकारी किये जाने पर उसके पुनः पंजीकरण प्राप्ति विचार किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में आपके पार्ट-दर्शन हेतु "निवेश-पत्र" की प्रति संलग्न है [धारा ३ए (5)]।

(4) कृपया दिनांक से तक के नवीकरण ऐसु रु० शुल्क तथा रु० विलम्ब-शुल्क का वैत्री द्वारा रजिस्ट्रेशन, फर्मर, सोसाइटीज एण्ड चिट्ठा, द० प्र०, तथा अधिकारी के विलम्ब संबन्धित विविध विवरण निबन्धन के पहलान रो प्रत्युत करें। कार्यालय में व्यवितरण सूची से जमा करने की विधियाँ में उक्त शुल्क नकद भी जमा किया जा सकता है [धारा ३ए तथा नियम ९]।

(5) कृपया पिछला प्रमाण-पत्र मूल रूप भी प्रस्तुत करें। यह प्रमाण-पत्र खो जाने विलम्ब विलम्ब भाव कारणों से जा रहा है जिसे जाने की स्थिति में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटर्स प्रमाण-पत्र प्रत्युत किया जा सकता है। इस शपथ-पत्र में यह वो जिता जाना चाहिये कि संस्था में कोई ग्रान्थकारी विवाद नहीं है [धारा ३ए (4)]।

(6) कृपया जिला विधालय निरीक्षक, जिला विसिक विधा विधिकारी से इस तथ्य चाहे एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्था में नोई ग्रान्थकारी विवाद नहीं है और संस्था के वर्तमान प्रबन्धक अमुक राजनाम है।

(7) कृपया विलम्ब की विवाद भालग-भालग प्रबन्ध रामिति की सूची, जिसमें स्थीर ग्रान्थकारी के नाम, पते, व्यवसाय तथा पद का उल्लेख हो, प्रस्तुत करें। प्रत्येक वर्ष की सूची भालग-भालग पृष्ठ पर हेतो चाहिये चाहे वही सूची अंगते वर्ष भी वर्षों न लागू हो [धारा ३ए तथा ५(1)]।

(8) यदि प्रबन्ध संगिति में परिवर्तन हुआ हो तो उस वर्ष की सूची प्रत्युत पूर्व विवादिकारियों वा सदरयों को हस्ताक्षर कर प्राप्त जाना चाहिये जो अब इस सूची में नहीं है। कृपया वर्ष विलम्ब की सूची पर भूतपूर्व विवादिकारियों/सदरयों के प्राप्त हस्ताक्षर प्रस्तुत करें [धारा ३ए तथा ५(1)]।

(9) वर्ष से सम्बन्धित प्रानन समिति विवादिति की सूची संस्था के पंजीकृत विद्यमावती में अंकित दो तो अनुरूप नहीं है। कृपया इसका कारण साष्ट करें तथा पुनरीक्षित सही सूची प्रस्तुत करें।

(10) कृपया सूचित करें कि संस्था वे विधान के अनुसार प्रबन्ध रायिति वा चुनाव नेवं होता था और उसे वास्तव में कब कराया गया। प्रबन्ध समिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही प्रस्तुत करें। अद्यता संस्था वे विधान में निर्धारित अवधि/तिथि के अनुरूप संघीकार विविकार संगिति का चुनाव नहीं हुआ है तो यह भी साष्ट करें कि उसका चुनाव रायित से पूर्व/पश्चात, कराने के बाय कारण उठाये गये विवादिकारियों/सदरयों को अपान्य कर दिया जाय [धारा २५]।

(11) प्रस्तुत कार्यवाही/चुनाव विवादिति में उल्लेख होना चाहिये कि विविति में कुल वित्तने सदस्य हैं और इसके सम्बन्ध किनने रायित वैठ रूप में दर्पसंहित थे और वहा विवादिकारियों को रूप प्रूप था। कृपया उद्दृष्ट रिति साष्ट करें और कार्यवाही प्रस्तुत करें।

द्वय मुख्य विवादिकारियों/सदरयों द्वारा हो, ५.

(12) कृपण अपहृत करें कि लार्यवाही हनुमान का वाहन 14 दिन के अस्त्र से हस कार्यालय को घयों नहीं प्रसुत की गयी। [धारा 4-1] ।

(13) कृपया दर्ज फॉर्म वाप-व्याय सेल्स/विलेंस शीट प्रस्तुत करें और उन्हें समय से प्रस्तुत न किये जाने का कारण भी स्पष्ट करें [धारा 4 (2)]

(14) प्रारंभिक लेखे/बैलेस शीट वर्ष सही नहीं है। उदाहरणार्थ उनमें गत दर्ज के अवशेष पहले वर्ष में सही/अविकृत नहीं चिह्नित गये हैं, आच-व्यवधक की मात्रा लाभित नहीं दी गयी है। कृपया ब्रुटिपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करते हुए सही लेखे प्रस्तुत करें।

(15) वृक्षगां वर्षे के वाय व्यय लोखे/बैलोस श्रीट चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराकर प्रत्युत करें।
 (धारा 2१) ।

(16) उद्देश्यों में परिवर्तन हेतु सर्वाधारण प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्यावित् परिवर्तन परितं किये जाने चाहिये। इसके 10 दिन बाद साधारण सभा की एक भूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से उक्त प्रत्यावरण पासित किये जाने चाहिये और इस बैठक के एक माह के अन्तराल पर साधारण सभा की एक दूसरी विशेष बैठक 3/5 बहुमत से उक्त प्रत्यावरण का पुष्टिकरण किया जाना चाहिये। हस्त बैठक के एक माह के भीतर ही उक्त राजी बैठकों की कार्यविधियों की परिवर्तन सहित प्रत्यावित् स्मृति-पत्र जिसमें परिवर्तन उद्देश्यों का समावेश हो सभा मंड़ो और प्रबन्ध समिति के दीन सदस्यों के घस्ताक्षर हों, ले साथ प्रत्यावित् स्मृति-पत्र के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना चाहिये। कृपया निधारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यसाधारण कर, आवश्यक प्रावधारण करें। रजिस्ट्रार द्वारा उक्त स्मृति-पत्र के पंजीकरण (फलमूल) के लिये जाने की सचिन जारी हो जाने पर ही रोकोष्टित हुद्देश्य धार्य हों (पारा 12 तथा निधारण 5)।

(17) संस्था के पते तथा नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही की रूचना नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की प्रसि के साथ 30 दिन के अन्दर ही उसे पंजीकरण (फाइल) करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये । संस्था के नियमों के परिवर्तन की विधि में संस्था की संशोधित समूह नियमावली भी उसे पंजीकृत करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये । कृपया तदनुसार तत्परता कार्यवाही तथा संशोधित नियमावली प्रस्तुत करें । कानूनिक ढाए उत्तर परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की रूचना जारी किये जाने गर ही परिवर्तन मात्र होंगे (धारा 4पं तथा नियम 5)।

(18) संस्था के नाम परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार वी पू। अनुमति आवश्यक है। अनुमति हेतु अनुरोध करने तथा अनुप्राप्ति ग्राप्त होने पर संस्था द्वारा साधारण सभा की विशेष बैठक में 2/3 बहुमत द्वारा अनुप्रोद्देश प्राप्त कर प्रस्तुत की संशोधित सूचि-पत्र/नियमावली के ग्राप्ति के राधे रजिस्ट्रार को परिवर्तित नाम का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कृपया अद्युत्सार कार्यवाही करें। रजिस्ट्रार द्वारा परिवर्तित नाम का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर ही परिवर्तित नाम मान्य होगा (भारा 12) तथा निक्षण 5 व 12)।

$$(20) \quad \frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^2 \left[\frac{1}{\lambda^2 - \lambda_0^2} \right] = \frac{1}{\lambda^2 - \lambda_0^2}.$$

(21)

कृपया उपरोक्त सभी प्रपत्र पृष्ठ के एक ही ओर ; किस काशनार सभी पृष्ठों पर संस्था के संकेटी तथा प्रबन्धकारिणी संगेति में कम से कम तीन सदस्यों के हक्कान्शर कराकर तथा संस्था की भावना लगाकर द्वारा पत्र के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें (निराम ५)। तीन माह से भी अधिक विलम्ब से उक्त पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उस पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकती । संतानक - (१)

(2)

(3)

Wise

राजिकार